



आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
नई दिल्ली
सूचना

दिनांक: 16-04-2024

विषय: एनबीईएमएस द्वारा संकाय उपाधि (मानद प्रोफेसर) प्रदान करने हेतु

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

- B. एनबीईएमएस संकाय उपाधि "एनबीईएमएस मानद प्रोफेसर" हेतु इच्छुक चिकित्सा पेशेवरों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
- C. निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संकाय पद के लिए आवेदन कर सकता है:

- i. आवेदक के पास नीचे दी गई सारणी के अनुसार किसी विशेष डीएनबी/डीआरएनबी पाठ्यक्रम के लिए एनबीईएमएस संकाय या सलाहकार के रूप में संबंधित विशेषज्ञता में पोस्ट पीजी अनुभव होना चाहिए:

ब्रॉड स्पेशियल्टी पाठ्यक्रम	18 वर्ष
सुपर स्पेशियल्टी पाठ्यक्रम	16 वर्ष

कृपया ध्यान दें कि एनबीईएमएस मान्यता प्राप्त किसी भी विभाग में डीएनबी/डीआरएनबी पाठ्यक्रम के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुभव पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह उस विशेष अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर संबंधित मान्यता प्राप्त विभाग में एनबीईएमएस द्वारा अनुमोदित संकाय था या काम कर रहा था। इसमें संबंधित मान्यता प्राप्त विभाग में पूर्णकालिक आधार पर काम करके प्राप्त पोस्ट पीजी अनुभव (डीएनबी/डीआरएनबी संकाय बनने से पहले) भी शामिल है। एनबीईएमएस मानद प्रोफेसर की उपाधि के लिए अंशकालिक/विजिटिंग आधार पर या गैर-मान्यता प्राप्त विभाग में काम करने को अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा।

- ii. अनुक्रमित पत्रिकाओं में 04 शोध प्रकाशन

- D. किसी संकाय को उपाधि देने के लिए विचार किया जा सकता है, भले ही निर्धारित न्यूनतम अपेक्षित अनुभव निरंतरता में हो या नहीं।
- E. उपाधि प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पहले, एक संकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह ऊपर बताए अनुसार सभी न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
- F. केवल आवेदन पत्र जमा करने से संकाय उपाधि प्रदान करने की गारंटी नहीं मिलती है। यह सभी आवश्यक न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है।

- G. एनबीईएमएस आवश्यक समझे जाने पर किसी भी समय निर्धारित पात्रता मानदंड में कोई भी बदलाव करने का अपना पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।
- H. संकाय उपाधि के अनुदान/गैर-अनुदान के संबंध में एनबीईएमएस द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे।
- I. फैकल्टी टाइटल शिप के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 18-04-2024 से लाइव होगा। संकाय उपाधि के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने हेतु निम्नलिखित आइकन पर क्लिक करें:



अथवा

ऑनलाइन फैकल्टी टाइटल शिप एप्लिकेशन फॉर्म भरने के लिए कृपया <https://natboard.edu.in> पर "एक्रिडिटेशन" लिंक पर पहुंचें।

- J. किसी भी प्रश्न/सहायता के लिए, आप संचार पोर्टल के माध्यम से एनबीईएमएस से संपर्क कर सकते हैं। इस पोर्टल को एनबीईएमएस वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर "Contact Us" मेनू के तहत त्वरित लिंक "Communication Web Portal" के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।



एनबीईएमएस

Please scroll down for English version of this notice



**NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS
IN MEDICAL SCIENCES
NEW DELHI**

NOTICE

Dated: 16-04-2024

Sub: Grant of Faculty Title (Honorary Professor) by NBEMS

National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) is an autonomous organization under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India.

B. NBEMS invites the online application from desirous medical professionals for seeking grant of faculty title “**NBEMS Honorary Professor**”.

C. **Any individual fulfilling the following minimum eligibility criteria may apply for the Faculty Title:**

- i. The applicant must possess the **Post PG experience** in the concerned specialty either as an NBEMS faculty or consultant on full time basis for a particular DNB/DrNB course in any of the NBEMS accredited hospitals/institutions as tabulated below:

Broad Specialty courses	18 Years
Super Specialty courses	16 Years

Please note that the experience mentioned by the applicant in his/her application form for a DNB/DrNB course in any of the NBEMS accredited department will be considered only if he/she was an approved faculty by NBEMS for that particular period or was working in concerned accredited department on full time basis. This also includes Post PG experience (prior to becoming a DNB/DrNB faculty) obtained working on a full time basis in the concerned accredited department. Working on part time/visiting basis or in a non-accredited department shall not be considered towards experience for grant of NBEMS Honorary Professor.

- ii. 04 Research Publications in Indexed Journals.

D. A faculty can be considered for grant of title irrespective of whether the prescribed minimum requisite experience is in continuity or not.

E. Before applying for the grant of title, a faculty must ensure that he/she completes all of the minimum eligibility criteria as indicated above.

F. Mere submission of application form does not guarantee the grant of Faculty Title. It is subject to fulfilment of all required minimum eligibility criteria and approval of the Competent Authority.

- G. NBEMS reserves its absolute right to make any addition/deletion in the prescribed eligibility criteria at any point of time as deemed necessary.
- H. The decisions so taken by the NBEMS regarding grant/non-grant of Faculty Title will be final and binding.
- I. **The online application form for Faculty Title ship shall be live w.e.f. 18-04-2024. Click the following icon for submission of online application form for grant of Faculty Title:**



OR

Kindly access the “**Accreditation**” Link on <https://natboard.edu.in> to fill the online Faculty Title Ship Application Form.

- J. For any query/assistance, you may contact NBEMS through Communication portal. This portal can be accessed through Quick Link “**Communication Web Portal**”_under “**Contact Us**” menu on NBEMS website <https://natboard.edu.in>



NBEMS

